भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 4722
दिनांक 28.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

गैर-ईसीआर पासपोर्ट धारकों की सुरक्षा

4722. **डॉ. शशि थरूरः**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास गैर-ईसीआर (उत्प्रवासन जांच आवश्यक) पासपोर्ट धारकों के प्रवास पैटर्न से संबंधित नवीनतम आंकड़े उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अधिकांश भारतीय प्रवासियों के पास गैर-ईसीआर पासपोर्ट हैं और इस प्रकार उनके प्रवासन पैटर्न का दस्तावेजीकरण नहीं किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार गैर-ईसीआर पासपोर्ट धारकों के प्रवासन पैटर्न को विनियमित और निगरानी करने के लिए कोई उपाय कर रही है, जिससे उनकी भलाई सुनिश्चित हो सके; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[श्री कीर्तवर्धन सिंह]

(क) से (घ) विदेश यात्रा करने वाले सभी भारतीयों का डाटा आप्रवासन ब्यूरो द्वारा निकास बिंदु पर एकत्र किया जाता है। जहाँ तक 18 उत्प्रवास जाँच अपेक्षित (ईसीआर) देशों की यात्रा का सवाल है, प्रवासी श्रमिकों का रिकॉर्ड रखा जाता है। गैर-ईसीआर देशों में प्रवासियों का कोई अलग रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। भारत से बाहर जाने वाले अधिकांश यात्री गैर-ईसीआर पासपोर्ट पर ऐसा करते हैं। उनके लिए प्रवास पैटर्न स्थापित करना व्यवहार्य नहीं है।

ई-माइग्रेट पोर्टल, ईसीआर देशों में प्रवासी श्रमिकों की यात्रा को रिकॉर्ड करने का तंत्र है। ई-माइग्रेट पोर्टल वर्ष 2015 में शुरू होने के बाद से ही चालू है और इसके माध्यम से भर्ती एजेंटों (आरए), विदेशी नियोक्ताओं (एफई) के पंजीकरण और संभावित प्रवासियों को उत्प्रवास अनुमोदन (ईसी) जारी करने की सुविधा प्रदान की जाती है। यह एक व्यापक ऑनलाइन प्रणाली है जिसे 18 ईसीआर देशों में भारतीय श्रमिकों के सुरक्षित और वैध प्रवास की सुविधा के लिए विकसित किया गया है। इस पहल की संकल्पना उत्प्रवास प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और विभिन्न शिकायतों को दूर करने के लिए की गई थी।

(ङ) और (च) सरकार विदेशों में भारतीय प्रवासी श्रमिकों सहित भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है, चाहे वे ईसीआर श्रेणियों के हों या ईसीएनआर के। इस लक्ष्य के अनुसरण में, विदेश मंत्रालय (एमईए) ने प्रवासन और आवाजाही साझेदारी की है, जिसका उद्देश्य आवाजाही

को बढ़ावा देना, कार्य के अवसरों का विस्तार करना और प्रवासी भारतीय नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देना है और इस पर फ्रांस (2018), यूके (2021), जर्मनी (2022), इटली, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया (2023) और डेनमार्क (2024) के साथ पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। अन्य देशों, विशेष रूप से यूरोप और सुदूर पूर्व के देशों के साथ, इसी तरह के करारों पर चर्चा चल रही है। भारतीय श्रमिकों की भर्ती के लिए उनकी सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करते हुए इजरायल और मॉरीशस के साथ भी करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। करारों में, अन्य बातों के साथ-साथ, विदेशों में भारतीय श्रमिकों और पेशेवरों के कल्याण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए नियमित और संरचित परामर्श तंत्र का भी प्रावधान किया गया है।

सरकार ने विदेशों में अल्प अवधि के लिए काम करने वाले भारतीय पेशेवरों/कुशल श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा करार (एसएसए) भी किए हैं। एसएसए दोहरे सामाजिक सुरक्षा योगदान से छूट प्रदान करता है। आज तक, भारत ने 19 देशों - ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, चेक गणराज्य, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, जापान, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, दक्षिण कोरिया और ब्राजील के साथ सामाजिक सुरक्षा करारों (एसएसए) पर हस्ताक्षर किए हैं और उन्हें लागू किया है। भारत ने अर्जेंटीना और पोलैंड के साथ भी सामाजिक सुरक्षा करारों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो लागू होने की प्रक्रिया में हैं। भारत ने कनाडा के क्यूबेक प्रांत के साथ भी एसएसए पर हस्ताक्षर किए हैं।

इसके अतिरिक्त, भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन पर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय/क्षेत्रीय/बहुपक्षीय मंचों और प्लेटफार्मों में भी सक्रिय रूप से भाग ले रहा है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा मंच, कोलंबो प्रक्रिया, अबू धाबी वार्ता, बुडापेस्ट प्रक्रिया, प्रवासन पर अंतर्राष्ट्रीय वार्ता, प्रवासन के लिए वैश्विक करार क्षेत्रीय समीक्षा जिसमें सुरक्षित और नियमित श्रम प्रवास को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर सर्वोत्तम प्रथाओं और चर्चाओं को साझा करना शामिल है। पिछले साल, भारत ने कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता भी संभाली।

भारत सरकार अपने प्रवासी श्रमिकों के कौशल और क्षमता निर्माण के लिए भी प्रतिबद्ध है। इस संदर्भ में, सरकार 2015 से अपनी प्रमुख योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) को लागू कर रही है, ताकि देश भर के युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण और पूर्व शिक्षा की मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशल विकास और पुनः कौशल प्रदान किया जा सके। पीएमकेवीवाई के माध्यम से, व्यक्ति अपने अर्जित कौशल और प्रमाणपत्रों के आधार पर घरेलू और विदेशी दोनों जगहों पर प्लेसमेंट के अवसरों का लाभ उठा सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार इच्छुक प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रस्थान-पूर्व अभिविन्यास प्रशिक्षण (पीडीओटी) लागू करती है ताकि उन्हें गंतव्य देशों के सांस्कृतिक, वैध और व्यावसायिक पहलुओं पर आवश्यक जानकारी से लैस किया जा सके। यह प्रशिक्षण सुनिश्चित करता है कि भारतीय श्रमिक अपने विदेशी रोजगार के लिए बेहतर तरीके से तैयार हों, जिससे विदेश में उनकी सुरक्षा, कल्याण और एकीकरण को बढ़ावा मिले।

शिकायतों के पंजीकरण और निवारण के लिए सरकार ने विभिन्न तंत्र स्थापित किए हैं। भारतीय प्रवासी कर्मचारी विभिन्न माध्यमों, जैसे वॉक-इन, ईमेल, बहुभाषी 24x7 आपातकालीन नंबर, शिकायत निवारण पोर्टल जैसे मदद,

सीपीजीआरएएमएस, ई-माइग्रेट, सोशल मीडिया, टोल फ्री हेल्पलाइन, व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से मिशनों / केंद्रों से संपर्क कर सकते हैं और मिशनों / केंद्रों ने भारतीय नागरिकों को संकट या आपातकालीन स्थिति में संबंधित भारतीय मिशनों / केंद्रों से संपर्क करने में सक्षम बनाने के लिए मोबाइल ऐप भी लॉन्च किए हैं। विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों तक पहुंचने के लिए भारतीय मिशनों / केंद्रों द्वारा कांसुलर कैंप और ओपन हाउस भी आयोजित किए जाते हैं, जिन्हें सरकार से किसी सहायता/मार्गदर्शन की आवश्यकता हो सकती है।

विदेश स्थित हमारे मिशन/केंद्र भी संकटग्रस्त भारतीय प्रवासियों को साधन-परीक्षण के आधार पर निम्नलिखित सेवाएं/सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) का उपयोग करते हैं:

(i) पार्थिव शरीर को भारत लाना या परिवार की सहमति से दाह संस्कार करना;

(ii) आपातकालीन चिकित्सा देखभाल;

(iii) वैध सहायता;

(iv) भोजन एवं आवास; तथा

(v) फंसे हुए भारतीयों के लिए हवाई मार्ग।

*****